27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 03 जुलाई 2013 ।

03 JUL 2013

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बेठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार सर्वश्री कांति राम तथा बचन सिंह, कनिष्ठ सहायकों से अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में सर्वश्री कांति राम तथा बचन सिंह, कनिष्ठ सहायकों से प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि दोनों कार्मिको द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन हेतु आवेदन किया गया है । समिति द्वारा दोनों कार्मिको के उत्तराखंड के लिए पुनरावंटन की संस्तुति इस शर्त के अधीन की गई कि प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके अनुसूचित जाती के कार्मिक होने कि पुष्टि की जाएगी।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत हे तथा तदनुसार सर्वश्री कांति राम तथा बचन सिंह, कनिष्ठ सहायकों का आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए इस शर्त के अंतर्गत किया जाता हे कि संबन्धित विभाग द्वारा उनके अनुसूचित जाती के कार्मिक होने कि पुष्टि की जाएगी ।

3 इस संबन्ध में दिनांक 26.06.2013 को जारी समसंख्यक पत्र जिसके तहत गलती से दोनों कार्मिको का राज्य पुनराबंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था, एतद्वारा रद्द किया जाता हे।

4. संबन्धित कार्मिकों को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाए ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
03/7/2013
जारी किया/ISSUED

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।